

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/जोन-कोटा/विदेश यात्रा - 28242/

दिनांक:-

-: आदेश :-

श्रीमती रशीदन बानो, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, उप स्वास्थ्य केन्द्र, जलोदी, ब्लॉक तालेडा, बून्दी को स्वयं के प्रार्थना पत्र के आधार पर दिनांक 13.05.2024 से 20.07.2024 तक (69 दिवस) तक मक्का मदीना धार्मिक यात्रा (विदेश यात्रा) की अनुमति निम्न शर्तों के अध्याधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

1. कार्मिक विदेश जाने से पूर्व सक्षम स्तर से वांछित अवधि का अवकाश स्वीकृत करवाकर प्रस्थान करेंगे, तथा स्वीकृत अवकाश में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की जावेगी।
2. विदेश जाने हेतु किसी प्रकार का वित्तीय भार राज्य सरकार द्वारा वहन नहीं किया जावेगा।
3. अवकाश समाप्ति के पश्चात अपनी ड्यूटी पर अविलम्ब उपस्थित होंगी।
4. विदेश में किसी प्रकार का रोजगार/नियोजन स्वीकार नहीं करेंगीं।
5. विदेश प्रवास के दौरान राज्य सेवा से त्याग-पत्र एवं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी।
6. विदेश प्रवास के दौरान किसी भी तहत की राष्ट्र विरोधी/असंवैधानिक गतिविधियों से संबंध नहीं रखेंगे।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/जोन-कोटा/विदेश यात्रा - 28242/572
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक:- 20/05/2024

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये जोन-कोटा।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी।
6. संबंधित कार्मिक को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- ✓ 7. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय का प्रेषित कर लेख है कि आदेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।
8. आदेश/निजी प्रभावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

RajKaj Ref
7281286



Signature valid

Digitally signed by Rakesh Kumar
Sharma
Designation: Director
Date: 2024.05.17 11:31:27 IST
Reason: Approved